

रमेशचन्द बनाम रामप्यारी वगैरा

किस्म मुकदमा : स्थानान्तरण प्रा0 पत्र

मु0नं0 53/2017

29.9.2017

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी श्री किशन सिंह गुर्जर को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी हो। प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की जावे। पत्रावली दिनांक 23.10.2017 को पेश हो।

अति० जिला कलक्टर  
बोधा

नदरीर  
6446  
29-9-17  
Notice  
6451-67,  
6468  
29-9-17  
गोकुलाम

23/10/17

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी 1 लगाकर 9 की ओर से सत्यनारायण बर्मन एडवोकेट का मतनाम पेश किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी 10 की ओर से बाबूलाल सुब्रह्मण्यम उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी 2 का मत बर्मन के उपरान्त ही उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए और न ही अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी 1 लगा 9 को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पत्र स्थानान्तरण में अंकित तथ्यों को मध्यम रखते हुए - चूंकि तत्कालीन प्रौढापीय अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिमराप का स्थानान्तरण हो चुका है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को स्वीकार किया जाना चाहिए उपस्थित नहीं समझते हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिमराप में बिना रखी पत्रावली




अति० जिला कलक्टर  
बोधा

...अपराधः

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दौसा  
सु. नं. 53/2017 प्राचीन पत्र स्थानान्तरण  
रमेशचन्द्र V/S शमण्यारी वडीरा

मुद्दे 1/16 इनवली रामचन्द्र बनाम शमनाथ का  
अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु  
प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र खारिज किया जाता  
है निवेदन की प्रती कच्चीनाल न्यायालय इपखण्ड  
अधिकारी सिकराय का निजवादीपत्र पत्रावली  
पैमल मुद्दा होकर नम्बर में क्रम 1 एवं प्रविष्ट  
लेख अण्डार ही निवेदन आज दिनांक 23-10-2017  
को न्यायालय में सुनाया गया।



  
अति० जिला कलक्टर  
दौसा

